पत्र स0–15/डी0एल0ए0, पटना (मार्ग दर्शन)–16/2014–.......1481....../रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

पटना, तारीख:...21-11-14

सं०...रा०- चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–**सिकन्दरपुर**, थाना नं0–**17**, सर्वे थाना–**दानापुर**, परगना–**फुलवारी**, जिला–**पटना** में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् **विधायक निधि योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण के लिए** सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–**सिकन्दरपुर**, थाना नं०–**17** के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–वेश **0.0505 एकड़** के बराबर होता है और जिसका **सर्वे खेसरा संख्या–321 अंश** भाग है और जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है–

उत्तर : खेसरा सं0–319 एवं 320
पूरब : खेसरा सं0–330 अंश।
दक्षिण : खेसरा सं0–321 अंश।
पश्चिम : रास्ता।

यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंद्ध प्रारम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे **कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पटना** के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5A के उपबंध लागू नहीं होगें।

18/11
समाहर्त्ता,
पटना

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/11/14
सरकार के अवर सचिव

C:\Pinku\Khalko Jee\Adhishuchana, Sikandarpur.docx1

ज्ञाप सं0 – 16/डी0एल0ए0, पटना (मार्ग दर्शन)–16/2014–1481/रा0, दि0 -21-11-14

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियां सी0 डी0 के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू–अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपलाल दीपक)
सरकार के अवर सचिव।

(86)